Spice Mobility Limited

CIN No.-L72900DL1986PLC330369 Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt Centre, New Delhi – 110025. | Tel: 011 41251965 www.spicemobility.in | complianceofficer@smobility.in



September 12, 2018

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 517214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no.C/1, G Block Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Scrip Code: SPICEMOBI

Sub: Notice to Equity shareholders for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) - Intimation under Regulation 30 of Listing Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has sent notice to the shareholders who have not claimed or encashed their dividend for seven or more consecutive years and accordingly whose shares are liable to be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account as per the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (the 'Rules').

Further as required under the said Rules, the Company has also published a Notice in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 11th September, 2018. A copy of the published notice is attached for your reference.

You are requested to kindly take the aforesaid information on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Spice Mobility Limited

M.R. Bothra

Vice President - Corporate Affairs

& Company Secretary

Encl: a/a

SPICE MOBILITY LIMITED Floor, DLF Tower A, Jasola Distl. Ce complianceofficer@smobility in, Tel. +91-11-41251965, CIN: L72900DL1986PLC330369

NOTICE

For the attention of Equity Shareholders of the Company

For the attention of Equity Shareholders of the Company
This notice is hereby given pursuant to the provisions Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investors Education and
Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time. The said Rules,
inter -alia, contain provisions for transfer of all shares in the name of Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account in
respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more. As per the aforesaid
Rules, the Company will initiate action for transfer of the shares of those shareholders whose Dividend remained unclaimed/unpaid for
more than 7 years (i.e. unpaid or unclaimed amount in respect of dividend for the financial year 2010-11) within 30 days from due date
i.e. 4th November 2018 without any further notice. i.e. 4th November, 2018, without any further notice.

Please note that as per the abovementioned Rules, the Company would be issuing new Share Certificate in lieu of the Original Certificate(s) held by those shareholders for the purpose of transfer of the same to the Demat Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificates will stand automatically cancelled and will have no existence thereafter.

The Company had consect the individual parties to all the same to the Demat Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificates will stand automatically cancelled and will have no existence thereafter.

The Company had served the individual notice to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and observed the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and observed the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and observed the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and observed the said Rules at their latest available address. shareholders and shares due for transfer to the said IEPF Account on its website <a href="https://www.spicemobility.in">www.spicemobility.in</a> under the heading 'Investor

The shareholders may please note that details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of new Share Certificates for the purpose of transfer of shares to Demat Account of the IEPF Authority pursuant to the amended Rules

The shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the shareholders by making a separate application to IEPF authority in Form IEPF – 5, as prescribed under the said Rules.

In case the shareholders have any query on subject matter, they may contact M/s. MAS Service Limited, (RTA) at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020, Email id: <a href="mailto:linfo@masserv.com">linfo@masserv.com</a>, Telephone No.: 011 – 26387281 or the Company Secretary of the Company at <a href="mailto:linvestors@smobility.in">linfo@masserv.com</a>, Telephone No.: 011 – 26387281 or the Company Secretary of the Company at <a href="mailto:linvestors@smobility.in">linfo@masserv.com</a>, Telephone No.: 011 – 26387281 or the Company.

By order of the Board For Spice Mobility Limited

M.R. Bothra Vice President - Corporate

- Lith. dian towards the corous of

Affairs & Company Secretary

Dated: September 6<sup>th</sup>, 2018

Place: Noida

#### NOTICE



Principal Pnb Asset Management Company Pvt. Ltd. (CIN: U25000MH1991PTC064092)

Regd. Off.: Exchange Plaza, 'B' Wing,

Ground Floor, NSE Building, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai-400 051.

Toll Free: 1800 425 5600 Fax: (022) 6772 0512

E-mail: customer@principalindia.com Visit us at: www.principalindia.com

### NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) & SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) OF THE SCHEMES OF PRINCIPAL MUTUAL FUND [NO. 42/2018]

With reference to the Notice dated August 03, 2018 issued by Principal Pnb Asset Management Company Pvt. Ltd (PPAMC), Unit holders are informed that Principal Financial Services Inc., (the existing sponsor) has through its wholly owned subsidiary Principal International India Ltd (PIIL) on August 24, 2018, acquired PNB's entire stake (constituting 21.38% of the paid up share capital of PPAMC) and (constituting 30% of the paid-up equity share capital of the Principal Trustee Company Pvt. Ltd ). Pursuant to this investment, Principal International India Ltd becomes the co-settlor of the Mutual Fund, Principal Financial Group (Mauritius) Limited being the settlor. Principal Financial Services Inc., USA continues to be the sole Sponsor [acting through its wholly owned subsidiaries Principal Financial Group (Mauritius) Ltd. and Principal International India Ltd]

In this context, the following changes are hereby made in the Statement of Additional Information (SAI) and Scheme nformation Documents (SID) of the Scheme(s) of Principal Mutual Fund:

The definition of "Co-Settlors" appearing under sub section D "ABBREVIATION & DEFINITIONS", under section Il 'Introduction' in the SID is hereby replaced with the following:

Co-Settlors: Principal International India Ltd is a co-settlor to the Principal Mutual Fund, Principal Financial Group (Mauritius) Limited being the settlor.

The paragraph appearing under sub section B 'Sponsor', under section I 'INFORMATION ABOUT SPONSOR, AMC AND TRUSTEE COMPANIES' in the SAI is replaced with the below paragraph:

Principal Mutual Fund is sponsored by Principal Financial Services Inc., USA [acting through its wholly owned subsidiaries Principal Financial Group (Mauritius) Ltd. and Principal International India Ltd]. Principal Financial Cattler of the Mutual Fund Trust with Principal International India Ltd as co-settlor.

# Aircel-Maxis interrogatio

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 10

THE ENFORCEMENT DIREC-TORATE on Monday pressed for the custodial interrogation for the customaram, son of of Karti Chidambaram, son of Congress leader p Congress in the Aircel dambarain, telling a Delhi Maxis that he showed "irritation" and "anger" during the probewarranting cancellation of protection from arrest.

Special CBI judge OP Saini asked Karti to file his response by September 18 on the plea of the ED, which alleged that the son of the senior Congress leader has violated the condition imposed by the court while granting relief.

The ED told the court that the interim protection was granted on March 24,2018 on the condition that Karti will appear before the investigating officer as and when directed and join the probe, but he has been avoiding summons to appear before it after ar

the filing of Addition

eral Tushar advocate appearing alleged th cooperation gation, w condition

The ag that the approva!

"The delibera monsis 2016," derailin agency "W

fronte he sl some conv answ pret

> app for lea ing

# Supreme on trial i

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 10

THE SUPREME COURT Monday sought a report sealed cover from a lower judge on how he intend complete the trial in the Masjid demolition case ing BJP veterans LKA Murli Manohar Joshi 20 Bharti within the Ap deadline.

Abench of Justice man and Indu Mall issued notice to bradesh november

Scanned by CamScanner

्र-ए–शरीफ, 10 सितंबर (एएफपी)।

के पिलबान आतंकवादिया न दश पर कार्या है। भूग-अलग हमले कर अफगान सुरक्षा बलों को ोलिबान आतंकवादियों ने देश के उत्तरी हिस्से में भी अलग हमले कर अफगान चुरणा भी बनाया, जिसमें उनके करीब 60 सदस्य मारे भी बनाया, जिसमें उमय में हुए हैं जब 17 वर्ष कि वाया, जिसमें उनके करीब 60 सदस्य मारे के वाया हमले ऐसे समय में हुए हैं जब 17 वर्ष भीरी हिंसा को समाप्त करने के लिए तालिबान के क्षेत्र<sup>भी</sup>री हिंसा का समाप्त करन का राज्य कि शांति वार्ता के प्रयास जारी हैं। युद्ध ग्रस्त देश में ि शांति वाता क प्रयास जारा हु। उस्ते ताभर चार भिक्षी कुछ हफ्तों में हुई हिंसा के बाद रातभर चार को जिल्ला में मैकडों नागरिक, भूति कुछ हफ्ता म हुइ एका न ने ने निर्माण करें नागरिक, प्रतिभक्तमी और सैनिक मारे गए।

क्षेत्र के पुलिस प्रमुख अब्दुल कयॉम बाकिजॉय ने

आगाह किया कि सर-ए-पोल स्थित सैन्य शिविर पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकवादी प्रांतीय राजधानियों को धमका रहे हैं। अगर मदद नहीं पहुंची तो स्थिति और अधिक 'खराब' हो सकती है। प्रांतीय गर्वनर जाहिर वाहदत ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सर-ए-पोल के नजदीक सयाद जिले में सुरक्षा नाके पर कब्जा कर आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के कम से कम 17 किमयों की हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि हवाई मदद बुलाई गई है। करीब 39 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं और अन्य 14 घायल हुए हैं। वाहदत ने कहा, 'शहर में

गोलीबारी जारी है।

### चूजीलैंड के द्वीप पर भूकम्प, सुनामी की चेतावनी नहीं

वैलिंगटन, 10 सितंबर (एएफपी)।

चूजीलैंड के सुदूरवर्ती कर्माडेक द्वीप पर बुधवार 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकम्प आया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि शाम करीब चार बजकर 19 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र ऑकलैंड के पूर्वोत्तर में 770 किलोमीटर दूर था।

Spice

स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड पंजीठ कार्यालयः 622, छठा तल, डीएलएफ टावर ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली—110025 ई—मेल आईडी:complianceofficer@smobility.in वेबसाइट www.spicemobility.in टेली:+91-11-41251965,सीआईएन न L72900DL1986PLC330369

कंपनी के इक्विटी शेयरघारकों के ध्यान हेतु

कपना क इंक्विटी शंयरधारकों के ध्यान हेतु सह सुवना एतदद्वारा समय—समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) निध्म, 2016 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। कथित नियम में, अन्य वातों के साथ—साथ, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते के नाम पर उन सभी शेयरों के हस्तांतरण करने के प्रावधान हैं, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात साल या उससे अधिक समय, के लिए लामांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। इन नियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों जिनके लामांश का 7 साल या अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया हैं (वितीय येष 2010—11 के लिए लामांश के संबंध में अभुगतानित या गैर दावाकृत राशि) शेयरों के हस्तांतरण के लिए देय तिथि यानि 4 नवंबर, 2018 तक से 30 दिनों के अंदर बिना किसी और सूचना दिए, कार्यवाही शुरू करेगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त नियमों के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से उन श्वरधारकों द्वारा आयोजित मूल प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्रों के बदले नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। इस तरह उक्त निर्गत पर, मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः रह हो जाएंगे और उसके बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा।

कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस उनके दिए गए नवीनतम उपलब्ध पते पर दिया था जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट <u>www.spicemobility.in</u> पर कथित आईईपीएफ खात में निवेशक संबंध शीर्षक के नीचे हस्तांतरण के लिए देय ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का पूरा विवरण भी अपलोड किया है।

शेयरचारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को संशोधित नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

कृपया शेयरघारक यह नोट करें कि उपरोक्त नियमों के तहत गैर दावाकृत लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित शेयरों पर अर्जित सभी लामों के लिए शेयरघारकों द्वारा फॉर्म आईईपीएफ –5 में आईईपीएफ प्राधिकरण में अलग आवेदन करके दावा किया जा सकता है।

यदि शेयरधारकों के पास इस विषय पर कोई प्रश्न है, तो वे मैसर्स एमएएस सर्विस लिमिटेड, (आरटीए) टी —34, दूसरा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस—2, नई दिल्ली—110020, ई मेल आईडी: <u>Info@masserv.com</u>, टेलीफोन नंबर: 011—26387281 या कंपनी के कंपनी सथिव से <u>investors@smobility.in</u> पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उपर्युक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश दारा स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड के लिए एमआरबोथरा वाइस प्रेसीडेंट - कॉर्पोरेट कार्य और कंपनी सचिव

दिनांकः सितंबर 6, 2018 स्थानः नोएडा

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ भाषाराज्य न है जानाशाह जनरल परवज दुस्स के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही एक

अक्तूबर से मामले की दैनिक सुनवाई का फैसला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पापिप्रमएल-एन) की पूर्ववर्ती सरकार ने नवंबर, 2007 में संविधानेतर् आपातकाल लागू करने को लेकर पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति यावर अली की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को मामले की कार्यवाही को स्थगित करते हुए कहा कि दुवई में लिखिन मप में गई कर किस तरह अवस्थित व

C CALL

CSL Finance Lin Regd. Office: 8/19, Ground Floor, Pusa Lare, VI (CIN: L748990L1992PLC051462, Tel/Fax: 011-4/2/19/4/2 Em NOTICE OF LOSS OF SHAP

No. No. No. 0000602 3343501 Shareholder Mrs. Seema T Talreja n who hashave a claim in respect of the sa documents with the company/RTA.

Place : New Delhi Date : 11,09,2018

### 📵 कार्पोरेशन

वैदेशिक शाखा, एम-93, फोनः 011-23418721/ 24/

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति जसा कि, कि के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्त पठित थारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए अधोहस्ट जारी कर ऋणधारक में. विजय श्री एण्टरप्राइंजेज (ऋणधारक), श्री राजीव बंस पत्नी श्री राजीव बंसल (पार्टनर/गारन्टर) तथा श्री नितिन सक्सेना, पुत्र स्व. १ की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 20.2.2014 तिरानवे लाख बहत्तर हजार छह सौ तिरासी मात्र) के साथ अनुपांगिक खर्चे दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिट माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में निहित शक्तियों के अनुसार अ मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा पारित आदेश तिथि 27.7.2018 के अनुपालन मे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है तथा आज, 7 सितंवर, 20 को सौंप दिया है।

ऋणधारक(कों)/ सह-ऋणधारक(कों)/ मार्टगैजर(रों)/ गारन्टर(रों) के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-ध विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय भुगतान की ब्याज तथा खर्चे के साथ 20.2.2018 को रु. 8,93,72,683/- (रु तिरासी मात्र) की राशि के लिए कॉर्पोरेशन बैंक के चार्ज के अधीन

- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 की 98, माप 250 वर्ग मी. के दूसरे तल (छत/टैरेस के अधिकारों
- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 की 98, माप 250 वर्ग मी. के प्रथम तल (छत/टैरेस के अधिका
- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 व 98, माप 250 वर्ग मी. के बेस्मेन्ट तल (छत/टैरेस के अधि संपत्ति की चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: , दक्षिण:, पूर्व: बिक्री प्र स्थानः नई दिल्ली तिथि: 7.9.2018,

#### केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता, दिल्ली विमानन प्रभाग केलोनिव, ईस्ट ब्लॉक-III, लेवल-VII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिये के.लो.नि.वि. के स्वीकृत तथा योग्य ठेकेदारों से ऑन लाइन प्रतिशत दर निविदायें आमंत्रित हैं:

1. एनआईटी सं. 16/ईई/डीएडी/एनआईटी/2018-19, कार्य का नामः एसपीजी कैम्पस, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में प्रशासनिक ब्लॉक में लाइब्रेरी का नवीकरण।

अनुमानित लागतः रु. 18,32,480/- (सिविलः रु. 14,94,728/ +विद्युतः रु. 3,37,752/-), धरोहर राशिः रु. 36,650/-, पूर्णता अविध 3 माह, बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 17.9.2018 के 3.00

बंजे अप. तक। 2. एनआईटी सं. 17/ईई/डीएडी/एनआईटी/2018-19, कार्य का नाम एसपीजी कॉम्प्लैक्स, हारका, नई दिल्ली में केनेल ब्लॉक में 10 (दस) केजेज

अनुमानित लागतः रु. 20,25,065/-(सिविलः रु. 18,77,208/-विद्युतः रु. 1,47,785/-), धरोहर राशिः रु. 40,501/-, पूर्णता अवधि 3 माह, बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 17.9.2018 के 3.00

बजे अप. तक। होली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाईटः www.tenderwizard.com/ से प्राप्त की जा सकती है। यह CPWD www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Dr Lal Path Labs

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड कॉरपोरेट आइडेंटिटी नम्बरः एला४८५५डीएल१९५५पीएलसी०६५३८८ र्व केक्टर-18 रोहिणी, नई दिल्ली-110085



## कापोरेशन

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अचल/चल सम्पत्तिर घरोहर राशि (ईएमडी) तथा दस्तावेजों

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आघार पर" उसको वेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पार सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट: https://bankauct

शाखा का नाम, पता, क्र. फोन नं, और ई-मेल आईडी ₹.

ऋणधारक और गा का नाम

शाखाः एम-41, कनॉट सर्कस, कार्पोरेशन बैंक, दिल्ली-110001, फोनः 011-23412633, 23412559. 23415355, ईमेलः cb0141@corpbank.co.in, वेबसाईटः www.corpbank.com सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेत् सम्पर्क करे श्री एन टी नारायण मूर्थि, मो. 9971744655

कर्जदारः मैसर्स रोशनी ज्वैर्ल्स प्रा. ति तीसरी मंजिल, ब्लॉक क्यू प्लॉट नं. 10. देश बंधु गुप्ता, रोड, करोल बाग, नई वि गोल्ड प्रा. लि., 150 / 79, तृतीय तल, १ नं. XIV/11163-2 न्यू रोहतक रोड् दिल्ली—110005, गारंटर : 1. श्री संदीप रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली, 2 भूतल, रामजस रोड, करोल बाग, वित 66ए/6, न्यू रोहतक रोड, करोल बार गुप्ता", 66ए / 6, न्यू रोहतक रोड कर जें की गोल्ड प्रा. लि " 65 एम एम र बाग, नई दिल्ली, ६ इन्दरजीत बंस अंतरित अपार्टमेंट, सैक्टर-14, एक्स अमन धाई 5004 5006 रेघरपूरी हीएमसी इक्रास्ट्रक्वर प्रा कि देख पार्क प्लाजा डीडीए मार्डेट सेवरण

Scanned by CamScanner